आरबीई सं. 62/2025

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम 1/14 **नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: तीन कोटियों (वाणिज्यिक लिपिक, टिकट कलेक्टर और पूछताछ सह आरक्षण लिपिक (ईसीआरसी) के विलय के पश्चात वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति/वरिष्ठता/स्थानांतरण के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.08.2024 का पत्र सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम 1/14 (आरबीई सं. 80/2024).

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें आदेश जारी करने की तिथि के आधार पर वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों की विलयित संवर्ग/पृथक संवर्ग में तैनाती के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया था कि संवर्ग के विलय से पूर्व स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों और जिनके आदेश विलय के पश्चात (अर्थात 22.02.2018) जारी किए गए हैं, से संबंधित मामलों पर स्पष्टीकरण विचाराधीन है।

2. बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से मामले की जांच करवाई गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था और जिनके आवेदन संवर्गों के विलय की तिथि से पहले पंजीकृत, लेकिन जिनके मामले में स्थानांतरण आदेश संवर्गों के विलय की तिथि (अर्थात 22.02.2018) के बाद जारी किए गए थे, उन्हें या तो उस पद की कोटि में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था, बशर्ते कि जिस इकाई में उन्होंने स्थानांतरण की मांग की थी, उसमें एक पृथक वरिष्ठता इकाई बनाए रखी जा रही हो या विलय किए गए संवर्गों में, यदि वे इसका विकल्प चुनने के इच्छुक हों। परंतु यदि जिस नई इकाई में, स्थानांतरण की मांग की जा रही है, वहां संवर्गों का विलय कर दिया गया है और पुराने संवर्गों (विलय से पूर्व मौजूद) की कोई पृथक वरिष्ठता नहीं रखी गई है, तो कर्मचारी के पास या तो नई इकाई में विलय किए गए संवर्गों में स्थानांतरण स्वीकार करने या बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने स्थानांतरण अनुरोध को वापस लेने का विकल्प होगा।

कृपया पावती दें।

(अजय गोयल)
उपनिदेशक-III/ई(एनजी)I
रेलवे बोर्ड
ई-मेल: ajay.2097123@gov.in
फोन नं. 47224/011-23047224

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम 1/14 नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

स्वाधता 2.7.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड